न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : अशोक शिवहरे

सदस्य

निगरानी प्र.क. 2526–तीन/2014 विरूध्द आदेश दिनांक 29.4.2014 पारित – व्दारा– अपर कलेक्टर, छतरपुर – प्रकरण कमांक 35/अ –21/2013–14

1– गोटीराम पुत्र बाला अहिरवार
2– दीपक पुत्र गोटीराम अहिरवार
दोंनो ग्राम पथरया तहसील राजनगर
जिला टीकमगढ़ मध्य प्रदेश ----आवेदक

विरूध्द

मध्य प्रदेश शासन --अनावेदकगण

आवेदकगण के अभिभाषक श्री मुकेश भार्गव
शासन की ओर से पैनल अभिभाषक

आदेश

(आज दिनांक 30 अगस्त, 2014 को पारित)

यह निगरानी अपर कलेक्टर जिला छतरपुर व्दारा प्रकरण कमांक 35 अ –21/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 29.4.2014 के विरूद्व मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि आवेदकगण ने कलेक्टर, छतरपुर के यहॉ आवेदन देकर मांग की कि उनके नाम ग्राम पथरया तहसील राजनगर में आराजी कमांक 734/2 एंव 734/1 भूमि है जिसे विकय करके वह दोनों पुत्रियों की शादी करना चाहते हैं इस भूमि के विकय के वाद भी उनके पास साढ़े छै एकड़ भूमि बचेंगी इसलिये विकय की अनुमति प्रदान की जावे। अपर कलेक्टर, छतरपुर ने प्रकरण कमांक 35 अ –21/2013–14 पंजीबद्व किया

तथा जांच उपरांत आदेश दिनांक 29–4–14 पारित किया तथा आवेदक काभूमि विकय अनुमति आवेदन निरस्त कर दिया। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी हैं .

3/ निगरानी मेमो उठाये गये बिन्दुओं पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ आवेदकगण के अभिभाषक ने तर्कों में बताया कि आवेदकगण व्दारा पटटे की शर्तो का पालन करते रहने के कारण वह रिकार्डेड भूमिस्वामी है और रिकार्डेड भूमिस्वामी भूमि विकय के लिये स्वतंत्र है किन्तु सदभावना के कारण आवेदकगण व्दारा सीधे भूमि विकय न करके पटटे की भूमि होने के कारण विकय अनुमति मांगी है । नायव तहसीलदार ने जांच प्रतिवेदन आवेदकगण के फेवर में दिया है इसके वाद भी अपर कलेक्टर ने आवेदकगण का विकय अनुमति आवेदन निरस्त करने में भूल की है उन्होंने विकय अनुमति दिये जाने की प्रार्थना की। शासन के पैनल लायर ने पटटे की भूमि बताते हुये विकय अनुमति न दिये जाने का तर्क दिया।

5/ उभय पक्ष के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने एंव अपर कलेक्टर छतरपुर के प्रकरण कमांक 35/अ –21/2013–14 के अवलोकन पर पाया गया कि प्रकरण में पृष्ठ–1 पर नायव तहसीलदार लवकुशनगर का जांच प्रतिवेदन संलग्न है जिसके पैरा 10 के नीचे के सव पैरा में बताया गया है कि–

" अनावेदकगण गोटीराम तनय बालाप्रसाद अहिरवार निवासी पथरया की भूमि खसरा नंबर 734/2 रकबा 1.600 एंव आवेदक दीपक तनय गोटीराम अहिरवार के नाम भूमि खसरा नंबर 734/1 रकबा 0.417 हैक्टर शासन से प्राप्त भूमि के रूप में दर्ज है। पंचों ने पंचनामा में लेख किया है कि गोटीराम की दो पुत्रियां एंव दीपक की बहनें हैं जिनका नाम बबीता उम्र 24 वर्ष एंव सविता उम्र 22 वर्ष हो जो शादी योग्य है। परिवार

की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। आवेदक के नाम ग्राम धमना में किता 6 रकबा 2.679 हैक्टर भूमि है जिसका उपयोग आवेदकगण अपने परिवार के भरण पोषण कर सकेंगे।''

उपरोक्त से स्पष्ट है कि नायव तहसीलदार ने आवेदकगण व्दारा भूमि विकय की अनुमति हेतु आवेदन में दिये गये विवरण को जांच में सही पाया है एंव ग्राम पथरया की आराजी कमांक 734/2 एंव 734/1 के विकय के वाद आवेदकगण के पास ग्राम धमना में कुल किता 6 कुल रकबा 2.679 हैक्टर भूमि आजीविका चलाने हेतु उपलब्ध है। तात्पर्य यह है कि नायव तहसीलदार का जांच प्रतिवेदन विकय अनुमति दिये जाने वावत् है, किन्तु अपर कलेक्टर व्दारा इन तथ्यों की ओर ध्यान न देने में भूल की है।

6/ विचार योग्य है कि ग्राम पथरया की आराजी कमांक 734/2 एंव 734/1 आवेदकगण को दिनांक 7–8–98 को पटटे पर प्राप्त हुई है और उस पर वह निरन्तर खेती करते चले आ रहे हैं। पटटे की शर्तो का पालन करने के आधार पर पटटाग्रहीता पटटा प्राप्ति के 10 वर्ष के भीतर भूमिस्वामी अधिकार प्राप्त कर लेता है जैसाकि अपर कलेक्टर के प्रकरण में संलग्न खसरा संवत 2011–12 भूमि स.नं. 734/2 रकबा 1.600 है. की प्रविष्टि से स्पष्ट है भूमिस्वामी के कालम में प्रविष्टि इस प्रकार है –

'' गोटीराम तनय वाला जाति चमार
पता सा.खजवा भूमिस्वामी

और यही स्थिति खसरा वर्ष 2011–12 में दीपक गोटीराम की आराजी कमांक 734/1 रकबा 0.416 है. वावत् है। आवेदकगण वादग्रस्त भूमि का पटटा प्राप्त करने के 10 वर्ष उपरांत भूमिस्वामी अंकित कर दिये गये। पटटा प्राप्त हुये आज की स्थिति में 16 वर्ष हो चुके हैं ऐसी स्थिति में आवेदकगण को ग्राम पथरया स्थित ख.नं. 734/2 रकबा 1.600 है. एंव खसरा नं. 734/1 रकबा 0.416 है. की विकय अनुमति दिये जाने में बैधानिक अड़चन नजर नहीं आती

है फिर भी अपर कलेक्टर छतरपुर ने वास्तविक स्थिति के विपरीत जाकर आवेदकों का विकय अनुमति आवेदन निरस्त करने में भूल की है।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर अपर कलेक्टर जिला छतरपुर व्दारा प्रकरण कमांक 35/अ –21/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 29.4.2014 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है। फलतः आवेदकगण को उनके भूमिस्वामी स्वत्व की ग्राम पथरया स्थित ख.नं. 734/2 रकबा 1.600 है. एंव खसरा नं. 734/1 रकबा 0.416 है. के विकय की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि उप पंजीयक विकय पत्र दिनांक को शासन की प्रचलित गाईड लायन के मान से विकय धन अदा होने की संतुष्टि उपरांत विकय पत्र संपादित करें।

(अशोक शिवहरे)
सदस्य
राजस्व मण्डल, ग्वालियर